

प्रेषक,

निदेशक,

पंचायती राज, उ०प्र०।

सेवा में,

आवंटन

अनुदान सं०-83

लेखाशीर्षक-4515007890600-24

जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी,
लखनऊ, कौशाम्बी, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, झांसी, औरैया, जालौन,
बाराबंकी, मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट, कानपुर नगर, महोबा, इटावा, कानपुर
देहात, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, सहारनपुर, फतेहपुर, बिजनौर, हाथरस, अमेठी,
चन्दौली, मऊ, सोनभद्र, प्रयागराज, अयोध्या, भदोही, गोरखपुर, बुलन्दशहर, जौनपुर,
प्रतापगढ़, अलीगढ़, बॉदा, संतकबीरनगर, हमीरपुर, आगरा, सुल्तानपुर, मथुरा, मेरठ,
बस्ती, ललितपुर, गाजीपुर, मैनपुरी, फिरोजाबाद, शाहजहाँपुर, कन्नौज, अमरोहा, हापुड़,
बदायूँ, कासगंज, महाराजगंज, सम्भल, गाजियाबाद, पीलीभीत, श्रावस्ती, वाराणसी,
फर्रुखाबाद, गौतमबुद्धनगर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सिद्धार्थनगर, रामपुर, एटा, गोण्डा,
बलिया।

संख्या-1/शा०/18/2023-1/21/2023

लखनऊ

दिनांक 19 जून, 2023

विषय-वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं०-83 में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण (जिला योजना) हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से रू० 1192.98 लाख अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया शासनादेश सं०-33-3002(002)/5/2023-3-1/329190-2023 दिनांक 01 जून 2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं०-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-06-बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण(जिला योजना)-24-वृहद् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू०-1200.00 लाख के सापेक्ष रू० 1192.98 लाख (रू० ग्यारह करोड़ बानवे लाख अठानबे हजार मात्र) की धनराशि आवंटन हेतु अवमुक्त की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रू०-1192.98 लाख निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित की जाती है-

- 01-आंकड़ों की शुद्धता व धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व योजना प्रभारी का होगा तथा आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
- 02-प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। धनराशि का आवंटन किसी प्रकार के अन्य व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- 03-आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देश के अन्तर्गत किया जायेगा।

- 04-आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।
- 05-आवंटित की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि को क्रय हेतु सामग्री सम्बन्धी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- 06-आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।
- 07-धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 08-आवंटित की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, आवंटित धनराशियों के निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व योजना-प्रभारी का होगा।
- 09-योजना प्रभारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि आवंटित नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
- 10-निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।
- 11-योजनान्तर्गत तकनीकी कार्य सम्मिलित होने पर प्रायोजना का तकनीकी आवंटन प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य किया जायेगा।
- 12-उक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-06-बहुद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण(जिला योजना)-24-वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 13-शाराकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-4/2018/ आर0जी0-1021/दस/2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
- 14-प्रश्नगत पंचायत भवन के मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत परियोजना का संबंधित जनपद के एस.ओ.आर. पर विस्तृत आंगणन कराया जायेगा एवं इस विस्तृत आंगणन पर कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- 15-उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023 /बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 व अन्य संगत शासनादेशों में प्राविधानित व्यवस्थान्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।
- 16-शासनादेश सं0-4021/33-3-2019-182/2013 दिनांक 16.01.2020(छायाप्रति संलग्न) के प्रस्तर क के बिन्दु 3, 4, 5 एवं 6 में पंचायत भवन निर्माण हेतु दिये गये निर्देशों के




अनुरूप ही ग्राम पंचायत का चयन किया जायेगा। साथ ही जिन ग्राम पंचायतों में वित्त आयोग और मनरेगा कन्जर्वेशन की धनराशि से अभी तक पंचायत भवन का निर्माण नहीं हो पाया है, उन ग्राम पंचायतों का चयन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।
17(1) वर्ष 2023-24 में यदि कोई समर्पण हो, तो उसकी सूचना दिनांक 15.03.2024 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

17(2) उक्त आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्राविधानित अधिकारी के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ सं0-14 पर अंकित है।


संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
निदेशक,
पंचायती राज उ0प्र0।

सं0-1/शा0/18/1/2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, प्रयागराज-211001
- 2-अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3-उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 4-उपसचिव (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
- 5-सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 6-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
- 7-सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 8-सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
- 9-सम्बन्धित उपनिदेशक(पं0)/नोडल अधिकारी, बहुद्देशीय पंचायत भवन योजना, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
- 10-एस0पी0एम0यू0 पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।


(कृष्ण कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज उ0प्र0।

अनुदान सं०-83 वर्ष 2023-24 में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु धनराशि का आवंटन
धनराशि रूपये में

क्र०सं०	जनपद का नाम	धनराशि
1	लखनऊ	1746000
2	कौशाम्बी	1746000
3	सीतापुर	1746000
4	उन्नाव	1746000
5	हरदोई	1746000
6	रायबरेली	1746000
7	झांसी	1746000
8	औरैया	1746000
9	जालौन	1746000
10	बाराबंकी	1746000
11	मिर्जापुर	1746000
12	लखीमपुर खीरी	1746000
13	चित्रकूट	1746000
14	कानपुर नगर	1746000
15	महोबा	1746000
16	इटावा	1746000
17	कानपुर देहात	1746000
18	अम्बेडकरनगर	1746000
19	आजमगढ़	1746000
20	सहारनपुर	1803000
21	फतेहपुर	1746000
22	बिजनौर	1803000
23	हाथरस	1746000
24	अमेठी	1746000
25	चन्दौली	1746000
26	मऊ	1746000
27	सोनभद्र	1746000
28	प्रयागराज	1746000
29	अयोध्या	1746000
30	भदोही	1746000
31	गोरखपुर	1746000
32	बुलन्दशहर	1746000
33	जौनपुर	1746000
34	प्रतापगढ़	1746000
35	अलीगढ़	1746000

R. Kumar

36	बाँदा	1746000
37	संतकबीरनगर	1746000
38	हमीरपुर	1746000
39	आगरा	1746000
40	सुल्तानपुर	1746000
41	मथुरा	1746000
42	मेरठ	1803000
43	बस्ती	1746000
44	ललितपुर	1746000
45	गाजीपुर	1746000
46	मैनपुरी	1746000
47	फिरोजाबाद	1746000
48	शाहजहाँपुर	1746000
49	कन्नौज	1746000
50	अमरोहा	1803000
51	हापुड़	1746000
52	बदायूँ	1746000
53	कासगंज	1746000
54	महराजगंज	1803000
55	सम्भल	1746000
56	गाजियाबाद	1803000
57	पीलीभीत	1746000
58	श्रावस्ती	1746000
59	वाराणसी	1746000
60	फर्रुखाबाद	1746000
61	गौतमबुद्ध	1803000
62	मुजफ्फरनगर	1803000
63	मुरादाबाद	1746000
64	सिद्धार्थनगर	1803000
65	रामपुर	1803000
66	एटा	1746000
67	गोण्डा	1746000
68	बलिया	1746000
योग		119298000

(रु० ग्यारह करोड़ बानबे लाख अठानबे हजार मात्र)

(कृष्ण कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

पंचायतीराज उ०प्र०।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-12/06/2023

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-

1-sha-18-2023-1-21-2023
001-1-21-2023

अनुदान संख्या:-

83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:-

4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेतर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

06 - बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान प्रणामी	24-वर्ष निर्माण कार्य	योग
1	सहरनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रणामी	1803000 1803000	1803000 1803000
2	मुजफ्फर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रणामी	1803000 1803000	1803000 1803000
3	मेरठ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रणामी	1803000 1803000	1803000 1803000
4	बुलन्दशहर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000	1746000 1746000
5	उत्तीगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000	1746000 1746000
6	मथुरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000	1746000 1746000
7	आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000	1746000 1746000
8	मैनपुरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000	1746000 1746000
9	एटा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000	1746000 1746000
10	बिजनौर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रणामी	1803000 1803000	1803000 1803000
11	बदायूं-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000	1746000 1746000
12	सुरादाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000	1746000 1746000

		कार्य	धारा
13	शाहजहांपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी 1746000 1746000	1746000 1746000
14	पीलीभीत-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी 1746000 1746000	1746000 1746000
15	रामपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी 1803000 1803000	1803000 1803000
16	फर्रुखाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी 1745000 1745000	1746000 1746000
17	इटवा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी 1746000 1746000	1746000 1746000
18	कानपुर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी 1746000 1746000	1746000 1746000
19	फतेहपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी 1746000 1746000	1746000 1746000
20	प्रयागराज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी 1746000 1746000	1746000 1746000
21	झाँसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी 1746000 1746000	1746000 1746000
22	जालौन-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी 1746000 1746000	1746000 1746000
23	हमीरपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी 1746000 1746000	1746000 1746000
24	बाँदा -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी 1746000 1746000	1746000 1746000
25	वाराणसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी 1746000 1746000	1746000 1746000
26	मिर्जापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी 1746000 1746000	1746000 1746000
27	जौनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी 1746000 1746000	1746000 1746000
28	गाजीपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी 1746000 1746000	1746000 1746000
29	बलिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी 1746000 1746000	1746000 1746000
30	गोरखपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी 1746000 1746000	1746000 1746000
31	बस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी 1746000 1746000	1746000 1746000
32	आजमगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी 1746000 1746000	1746000 1746000
33	लखनऊ कलेक्ट्रेट-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी 1746000 1746000	1746000 1746000

		कार्य	प्राप्ति
34	उजाव-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000
35	रायबरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000
36	सीतापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000
37	हरदोई-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000
38	लखीमपुर खीरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000
39	अयोध्या-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000
40	गोण्डा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000
41	सुल्तानपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000
42	प्रतापगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000
43	बाराबंकी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000
44	ललितपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000
45	गाजियाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1803000 1803000
46	कानपुर देहात-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000
47	मऊ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000
48	सिद्धार्थनगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1803000 1803000
49	फिरोजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000
50	सोनभद्र-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000
51	महाराजगंज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1803000 1803000
52	महोबा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000
53	संत रविदास नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000
54	अम्बेदकर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000

		क्रय	प्राप्ति
55 गौतमबुद्ध नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1803000 1803000	1803000 1803000
56 चन्दौली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1745000 1745000	1746000 1746000
57 हाथरस-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000	1746000 1746000
58 संत कबीर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000	1746000 1746000
59 औरैया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000	1746000 1746000
60 कौशान्धी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000	1745000 1745000
61 कन्नौज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000	1746000 1746000
62 श्रावस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000	1746000 1746000
63 अमरोहा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1803000 1803000	1803000 1803000
64 चित्रकूट-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000	1746000 1746000
65 कांसगंज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000	1746000 1746000
66 अमोठी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000	1746000 1746000
67 हापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000	1746000 1746000
68 समबल-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रणामी	1746000 1746000	1746000 1746000
	योग	119298000 119298000	119298000 119298000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रणामी आवंटन):-

रूपया यारह करोड़ बानवे लाख अठानवे हजार
रूपया यारह करोड़ बानवे लाख अठानवे हजार

(कृष्ण कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

I/329 30/2023

संख्या- /2023/ /001-919-33-3-2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ०प्र०, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 01/06/2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या - 83 में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण(जिला योजना) हेतु आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि में से रु. 1192.98 लाख अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/शा०/232/2023-5/28/2023 दिनांक 08.05.2023 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला योजनान्तर्गत बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रावधानित धनराशि रु० 1200.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रु० 1192.98 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ बानबे लाख अठानबे हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत एस.सी. एस.पी. हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पंचायत भवन निर्माण के लिए संलग्न फाण्ट के अनुसार श्री राज्यपाल व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) आकड़ों की शुद्धता व धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ०प्र० का होगा तथा स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
- (2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट में अनुअल फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देश के अन्तर्गत किया जायेगा।

I/329/0/2023

- (4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व निदेशक, पंचायती राज 30प्र0 का होगा।
- (5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि को क्रय हेतु सामग्री संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययता सम्बन्धी समय समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, पंचायती राज 30प्र0 का होगा।
- (9) निदेशक, पंचायती राज 30प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
- (10) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/ मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।
- (11) योजनान्तर्गत तकनीकी कार्य सम्मिलित होने पर प्रायोजना का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य किया जायेगा।
- (12) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-06- बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना) -24 वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
- (13) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/ आर0जी0-1021/ दस/ 2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
- (14) प्रश्नगत पंचायत भवन के मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत परियोजना का संबंधित जनपद के एस.ओ.आर. पर विस्तृत आगणन कराया जायेगा एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- 2- उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 व अन्य संगत शासनादेशों में प्रावधानित व्यवस्थान्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 11,92,98,000 (रुपये ग्यारह करोड़ बयान्चे लाख अठानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4515007890600 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय जाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,


Signed by मनोज कुमार सिंह
Date: 01-06-2023 10:27
Reason: उप मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- /2023/ /001-919-33-3-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) 30प्र0 इलाहाबाद।
 - 2- समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, 30प्र0।
 - 3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
 - 4- संबंधित कोषाधिकारी ।
 - 4- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
 - 5- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
 - 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


गिरिजेश कुमार,
उप सचिव,
30प्र0 शासन।

जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में बहुउद्देशीय पंचायत भवन के निर्माण हेतु आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि

अनुदान संख्या-83

(धनराशि लाख रू० में)


क्र. सं.	जनपद का नाम	विकास खण्ड की संख्या	लक्षित पंचायत भवनों की संख्या	अनुदान संख्या-83 में प्रस्तावित पंचायत भवनों की संख्या एवं प्रस्तावित धनराशि भूकम्परोधी रहित प्रति पंचायत भवन रू० 17.46 लाख एवं भूकम्परोधी सहित प्रति पंचायत भवन रू० 18.03 लाख की दर से प्रस्तावित धनराशि	पंचायत भवन निर्माण किये जाने हेतु आवंटित धनराशि
1	2	3	5	6	7
1	लखनऊ	19	1	17.46	17.46
2	कौशाम्बी	19	1	17.46	17.46
3	सीतापुर	22	1	17.46	17.46
4	उन्नाव	23	1	17.46	17.46
5	हरदोई	15	1	17.46	17.46
6	रायबरेली	21	1	17.46	17.46
7	झांसी	16	1	17.46	17.46
8	औरैया	18	1	17.46	17.46
9	जालौन	15	1	17.46	17.46
10	बाराबंकी	20	1	17.46	17.46
11	मिर्जापुर	11	1	17.46	17.46
12	लखीमपुर खीरी	16	1	17.46	17.46
13	चित्रकूट	17	1	17.46	17.46

14	कानपुर नगर	11	1	17.46	17.46
15	महोबा	12	1	17.46	17.46
16	इटावा	16	1	17.46	17.46
17	कानपुर देहात	13	1	17.46	17.46
18	अम्बेडकरनगर	15	1	17.46	17.46
19	आजमगढ़	9	1	17.46	17.46
20	सहारनपुर	12	1	18.03	18.03
21	फतेहपुर	16	1	17.46	17.46
22	बिजनौर	8	1	18.03	18.03
23	हाथरस	14	1	17.46	17.46
24	अमेठी	15	1	17.46	17.46
25	चन्दौली	14	1	17.46	17.46
26	मऊ	11	1	17.46	17.46
27	सोनभद्र	14	1	17.46	17.46
28	प्रयागराज	15	1	17.46	17.46
29	अयोध्या	8	1	17.46	17.46
30	भदोही	17	1	17.46	17.46
31	गोरखपुर	14	1	17.46	17.46
32	बुलन्दशहर	13	1	17.46	17.46
33	जौनपुर	15	1	17.46	17.46
34	प्रतापगढ़	9	1	17.46	17.46
35	अलीगढ़	12	1	17.46	17.46
36	बाँदा	10	1	17.46	17.46
37	संतकबीर नगर	16	1	17.46	17.46
38	हमीरपुर	9	1	17.46	17.46
39	आगरा	10	1	17.46	17.46

40	सुल्तानपुर	10	1	17.46	17.46
41	मथुरा	8	1	17.46	17.46
42	मेरठ	9	1	18.03	18.03
43	बस्ती	14	1	17.46	17.46
44	ललितपुर	9	1	17.46	17.46
45	गाजीपुर	7	1	17.46	17.46
46	मैनपुरी	12	1	17.46	17.46
47	फिरोजाबाद	8	1	17.46	17.46
48	शाहजहाँपुर	10	1	17.46	17.46
49	कन्नौज	8	1	17.46	17.46
50	अमरोहा	9	1	18.03	18.03
51	हापुड	9	1	17.46	17.46
52	बदायूँ	8	1	17.46	17.46
53	कासगंज	8	1	17.46	17.46
54	महराजगंज	8	1	18.03	18.03
55	सम्भल	6	1	17.46	17.46
56	गाजियाबाद	9	1	18.03	18.03
57	पीलीभीत	7	1	17.46	17.46
58	श्रावस्ती	7	1	17.46	17.46
59	वाराणसी	6	1	17.46	17.46
60	फर्रुखाबाद	8	1	17.46	17.46
61	गौतमबुद्धनगर	6	1	18.03	18.03
62	मुजफ्फरनगर	9	1	18.03	18.03
63	मुरादाबाद	7	1	17.46	17.46
64	सिद्धार्थनगर	8	1	18.03	18.03
65	रामपुर	5	1	18.03	18.03

66	एटा	7	1	17.46	17.46
67	गोण्डा	6	1	17.46	17.46
68	बलिया	7	1	17.46	17.46
योग			68		1192.98

रू. 1192.98 लाख (रू. ग्यारह करोड़ बानबे लाख अठानबे हजार मात्र)


(गिरिजेश कुमार)
उप सचिव।